लोक सभा सचिवालय
(सदस्य सेवा शाखा)

वेस्टर्न कोर्ट हॉस्टल में संसद सदस्यों के अतिथियों के प्रयोगार्थ आवास के आवंटन हेतु आवेदन-पत्र

सेवा में,

अवर सचिव,
सदस्य सेवा शाखा,
लोक सभा सचिवालय,
नई दिल्ली।

महोदय/महोदया,

कृपया मुझे वेस्टर्न कोर्ट हॉस्टल में मेरे अतिथि(यों)-जिनका विवरण नीचे दिया गया है-के प्रयोगार्थ एक सिंगल/डबल सुईट (ए.सी./नॉन-ए.सी.) का आवंटन करें-

1. नाम...
2. आयु...
3. पिता का नाम...
4. व्यवसाय...
5. स्थायी पताः..
6. दूरभाषः..

मकान सं0................................ गांव/करबा...........................

जिला...................................... राज्य..................................

2. आवास दिनांक.............................. से................................ तक चाहिए।

3. मैंने आवंटन से संबंधित निबंधन एवं शर्तें (पृष्ठ के पीछे मुद्रित) पढ़ ली हैं और मैं इन सभी निबंधनों एवं शर्तों का पालन करूंगा/करूंगी।

उपर्युक्त व्यक्ति मेरे/मेरी संबंधी/ व्यक्तिगत मित्र/मेरे निजी जानकार हैं और मैं उनकी/उन सभी की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं।

भवदीय

हस्ताक्षर-
संसद सदस्य का नाम-
पहचान पत्र सं0-
दूरभाष-
दिनांक-

- **यह आवेदन पत्र जिस दिन के लिए या जिस दिन से सुईट चाहिए उससे एक दिन पहले के कार्य दिवस पर संसदीय सूचना कार्यालय में 1600 बजे तक या उससे पहले पहुंच जाना चाहिए।**
- **यदि उपरोक्त अपेक्षित सभी विवरण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं तो उस आवेदन-पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।**

लोक सभा सचिवालय

(सदस्य सेवा शाखा)

वेस्टर्न कोर्ट हॉस्टल में सुईट के आवंटन की निबंधन और शर्तें

1. 01 अक्तूबर, 2014 से प्रभावी सामान्य लाइसेंस शुल्क की दरें निम्नवत् हैं-

अवधि	एसी सिंगल सुईट (प्रतिदिन)	एसी डबल सुईट (प्रतिदिन)	सिंगल नॉन एसी सुईट (प्रतिदिन)	डबल नॉन एसी सुईट (प्रतिदिन)
1-3 दिन	रू. 800/-	रू. 1000/-	रू. 500/-	रू. 700/-
4-7 दिन	रू. 1600/-	रू. 1800/-	रू. 1000/-	रू. 1400/-
7 दिन से अधिक वधि तक ठहरने और उसे खाली करने तक	रू. 3200/-	रू. 3600/-	रू. 2000/-	रू. 2800/-

2. प्रतिदिन प्रत्येक अतिरिक्त अतिथि के लिए लाइसेंस शुल्क के साथ **200 रु.** का अतिरिक्त प्रभार देय है। 'सिंगल सुईट' में तीन से अधिक तथा 'डबल सुईट' में पांच से अधिक अतिथियों को ठहराने की अनुमति नहीं होगी।

3. सांसदों के अतिथियों को वेस्टर्न कोर्ट हॉस्टल में कमरा देते समय उनसे सिंगल सुईट (नॉन एसी) के लिए **1000/- रु.** और डबल सुईट (नॉन एसी) के लिए 1500/- रु. तथा सिंगल सुईट एसी के लिए रु.**1500/-** और डबल सुईट एसी के लिए **रु.2000/-** की प्रतिभूति जमा कराई जाएगी। सुईट खाली करते समय अतिथि को प्रतिभूति जमा की राशि नकद वापिस कर दी जाएगी बशर्ते सुईट में उसके निवास के संबंध में बकाया किराए के लिए समायोजित न किया गया हो।

4. वेस्टर्न कोर्ट हॉस्टल, नई दिल्ली के अधीक्षक से परिसर पर कब्जा लिया जा सकता है। यदि आवंटन की तारीख से 24 घंटे के अंदर आवास पर कब्जा नहीं लिया गया तो आवास का आवंटन स्वतः रद्द माना जाएगा। **परिसर खाली करने का समय मध्याह्न 12 बजे है ।**

5. संसद सदस्य अपने आवेदन में अपने अतिथि (अतिथियों) का नाम /के नाम उनके पूर्ण विवरण और जितनी अवधि के लिए आवास चाहिए उसका स्पष्ट रूप से उल्लेख करेंगे। वेस्टर्न कोर्ट हॉस्टल का/की स्वागत अधिकारी सदस्य के अतिथि (अतिथियों) को वास्तव में सुईट्स देने के पूर्व इस संबंध में रजिस्टर में प्रविष्टियां करेगा। रजिस्टर पर अतिथि (अतिथियों) के हस्ताक्षर भी लिए जाएंगे। **अतिथि आवास के लिए संसद सदस्यों से आवेदन पत्र अधीक्षक, वेस्टर्न कोर्ट हॉस्टल के द्वारा सीधे स्वीकार नहीं किए जाएंगे।**

6. सुईट(टों) की चाबी/चाबियां लेने से पूर्व अतिथि को वेस्टर्न कोर्ट हॉस्टल के/की स्वागत अधिकारी को प्रायोजक सदस्य का प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करना होगा और अपने पहचान प्रमाण पत्र की एक प्रति भी प्रस्तुत करनी होगी। वेस्टर्न कोर्ट के अधीक्षक/स्वागत अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि अतिथि (अतिथियों) को पहचान प्रमाण पत्र के बिना कोई सुईट आवंटित न किया जाए।

7. आवंटन की अवधि के लिए कमरा शुल्क की राशि आवास उपलब्ध कराए जाने से पूर्व वेस्टर्न कोर्ट हॉस्टल के खजांची के पास अग्रिम जमा करानी होगी। फर्नीचर इत्यादि, यदि लिए गए हैं, तो उनका किराया प्रभार अलग से देय होगा।

8. यदि लोक सभा सचिवालय द्वारा किसी अतिथि के किसी बकाया राशि की वसूली संसद सदस्य के टी.ए. या डी.ए. बिलों इत्यादि से की जाती है तो इस पर संसद सदस्य को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

9. आवंटन की अवधि की समाप्ति पर अतिथि (अतिथियों) द्वारा आवास खाली कराए जाने के लिए सदस्य व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा और आवंटन की अवधि समाप्त होने पर अतिथि से आवंटित आवास खाली कराए जाने के लिए अधीक्षक, वेस्टर्न कोर्ट द्वारा तुरंत कार्रवाई की जाएगी यदि आवंटन की अवधि को औपचारिक रूप से बढ़ाया न गया हो और उसके लिए अग्रिम कमरा शुल्क का भुगतान न कर दिया गया हो।

10. यदि हॉस्टल आवास अतिथि (अतिथियों) के लिए आवंटित किया जाता है तो उसे अधिक से अधिक **तीन दिन** की अवधि के लिए रखा जाएगा, यदि सभापति, आवास समिति, लोक सभा से लिखित रूप में अवधि बढ़ाने के लिए अनुमति प्राप्त न कर ली गयी हो। सभापति, आवास समिति की अनुपस्थिति में आवास समिति का प्रभाग अधिकारी अवधि बढ़ाने की अनुमति देगा। एक सप्ताह से अधिक अवधि बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

11. यदि सभापति, आवास समिति, लोक सभा द्वारा अवधि बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाती है तो **आवास का आवंटन स्वतः रद्द हो जाएगा।**

12. लोक सभा सचिवालय, अतिथि (अतिथियों) के नाम (नामों) सहित सुईट्स की निश्चित संख्या का आवंटन करेगा और उन्हें (अतिथियों को) इस आशय का आश्वासन देना होगा कि वह/वे आवंटन की अवधि समाप्त होने पर सुईट्स खाली कर देगा/देंगी/देंगें। संसद सदस्यों के अतिथियों के लिए प्रतिदिन अल्पाहार और एक वक्त का भोजन लेना आवश्यक है और इस संबंध में भुगतान अवश्य लिया जाएगा, चाहे सदस्यों के अतिथि अल्पाहार या भोजन ग्रहण करें या न करें। यदि सुईट में दो से अधिक अतिथि ठहरे हुए हैं तो जिस तिथि से अतिथि सुईट में ठहरे हैं उसी तिथि से सभी अतिथियों से सामान्य किराए के साथ-साथ भोजन प्रभार का अग्रिम भुगतान भी लिया जाएगा।

13. आवंटन की अवधि के लिए कमरा शुल्क की राशि, अल्पाहार और एक वक्त के भोजन का प्रभार आवास उपलब्ध कराए जाने से पूर्व वेस्टर्न कोर्ट हॉस्टल के खजांची के पास अग्रिम जमा कराने होंगे।

14. अग्रिम कमरा शुल्क की राशि और प्रति व्यक्ति अल्पाहार और एक वक्त के भोजन की अग्रिम राशि का भुगतान न किए जाने की स्थिति में आवंटन रद्द समझा जाएगा और देय राशि प्रायोजक संसद सदस्य के वेतन बिलों इत्यादि से वसूली जाएगी।

15. अधिवासी द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए पूरा ध्यान रखा जाएगा कि कोई भी व्यक्ति हॉस्टल में ऐसी हरकत न करे जिससे पड़ोसी की शांति भंग हो।

16. आवास के अंदर तथा बाहर सफाई, स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा अनुमोदित स्तर के अनुसार रखी जाएगी।

17. वेस्टर्न कोर्ट हॉस्टल के स्वागत अधिकारी को खाली कब्जा दिए जाने तक **सदस्य** आवास के वस्तुतः और कानूनी रूप से कब्जे में रहने की अवधि के दौरान किसी वस्तु के गुम होने अथवा क्षतिग्रस्त होने के लिए **व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा।** सदस्य खाली कब्जा समय पर न दिए जाने की स्थिति में सरकारी क्षति या हानि का भुगतान करेगा।

18. किसी संसद सदस्य द्वारा पहले से प्रायोजित और वेस्टर्न कोर्ट हॉस्टल में रह रहे अतिथि को किसी अन्य संसद सदस्य के अतिथि के रूप में रहने की अनमति नहीं दी जाएगी।